न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 16/2022

बउनवान

1. चतुर्भुज आयु 80 साल पुत्र श्री हीरा जाति बैरवा
2. घनश्याम आयु 65 वर्ष पुत्र श्री हीरा जाति बैरवा
3. रामभरोस आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल जाति बैरवा निवासीगण मउ तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 (अपीलांट्स)

बनाम

1. राधेश्याम आयु 62 वर्ष दत्तक पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी मउ तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (रेस्पोंडेंट्स)

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील अर्न्तगत धारा 225 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री निर्भय सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 30.11.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक तहसीलदार बारां के प्रार्थना पत्र संख्या 1/2022 बउनवान राधेश्याम बनाम चतुर्भुज वगै. में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. के विरूद्ध अपील इस आशय की पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 राधेश्याम दत्तक पुत्र गोरधन के नाम से आवेदन किया गया है जबकि राधेश्याम गोरधन का दत्तक पुत्र नहीं है तथा अप्रार्थी/अपीलांट रामभरोस के पिता का नाम प्रार्थना पत्र में हीरालाल लिखा गया है जो गलत है रामभरोस के पिता का नाम रामगोपाल है, इसी नाम से अपील पेंश है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. अपने हिस्से की आराजी ग्राम बोरेड़ी की खसरा नंबर 38 रकबा 1.52 है. में से 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी चतुर्भुज, घनश्याम एवं रामभरोस के जबरन कब्जा काश्त से छुडाकर कब्जा दिलाने हेतु पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर 1/2 भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को संभलाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया का अनुसरण बिना किये बिना जांच अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारी की [illegible] अपीलांट अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा अतिचारी नहीं है [illegible] 183 बी आर.टी.ए. के तहत सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है [illegible] हिस्सा राजस्व रेकार्ड में 1/2 गलत दर्ज हो रहा है जिसका फायदा उठाकर प्रार्थी ने [illegible] कार्यवाही पेश की [illegible] रेस्पो0 व उसके वास्तविक पिता किशनलाल की ओर से वाद वास्ते घोषणा व विभाजन न्यायालय एस.डी.ओ. मांगरोल में प्रकरण संख्या 335/94 पेश किया जो निराधार तथ्यों पर आधारित होने से निर्णय दिनांक 26.05.2005 से खारिज कर दिया गया तथा उक्त आदेश की अपील भी माननीय

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय आर.ए.ए. कोटा के यहां पेश की जो भी खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील जैरकार है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा अपील लम्बित है। इस प्रकार जब वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है एवं प्रार्थी/रेस्पो. के हक हिस्से की घोषणा राजस्व न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दी गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बिना विस्तृत जांच किये निर्णय पारित करना विधि विरूद्ध एवं क्षेंत्राधिकार के बाहर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांकक 28.04.2022 को पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी उक्त दिवस को पीठासीन अधिकारी नहीं थे अपीलांट/अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया जिसे रिकार्ड पर नहीं लिया गया तथा प्रार्थी के बयान तक नहीं लिये गये और अपीलांट/अप्रार्थीगण को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 प्रकरण संख्या 1/2022 बउनवान राधेश्याम बनाम चर्तुभुज को निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि संयुक्त खाते की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि संयुक्त खाते की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में प्रस्तुत हक हिस्से की घोषणा का वाद खारिज हो चुका है तथा इस निर्णय की अपील भी न्यायालय आर.ए.ए. कोटा द्वारा खारिज कर दी गई है। तथा वर्तमान में अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार है। ऐसी स्थिति में जब नियमित वाद जैरकार है तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा प्रार्थी/रेस्पो. की साक्ष्य भी रेकार्ड पर नहीं ली तथा मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वदग्रस्त आराजी मृतक गोरधन के रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर उसके [illegible] गोदपुत्र रेस्पो. के खाते दर्ज की गई है। जिस पर अपीलांटगण द्वारा अनाधिकृत रूप [illegible] करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद जांच विधि सम्मत तरीके से निर्णय [illegible] अप्रार्थीगण/अपीलांटगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश प्रदान किया [illegible] अपीलांटगण खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:12 IST
Reason: SelfAttested

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांटगण ने कथन किया कि गोदनामें को सही मानने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण का यह कथन सही है कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की है तथा संयुक्त खाते की भूमि के प्रत्येक इंच पर समस्त सहखातेदारान का कब्जा माना जाता है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2022 अनुसार सम्पूर्ण भूमि को चतुर्भुज पुत्र हीरा द्वारा ही काश्त करना बताया है। वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद में ही पक्षकारान के अधिकार तय होंगे।

चूंकि विवादित भूमि में अपीलांट चतुर्भुज व घनश्याम प्रत्येक का हिस्सा 4/27 तथा रामभरोस का हिस्सा 1/27 एवं रेस्पोडेन्ट राधेश्याम का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु भूमि पर चतुर्भुज द्वारा ही अवैध रूप से काश्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तथा अपीलांटगण की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.12.23 17:56:12 IST
Reason: SelfAttested